①

भारतीय दण्ड संहिता - II

यूनिट - V

LL.B. 3 year (II Sem)
+
B.A. LL.B 5 year (II Sem)

~~परिभाषा~~

भ्रष्टाचार निवारण अधि०, 1988

परिभाषा - निर्वाचन, लोक कर्तव्य, लोक सेवक

विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति, शक्ति और क्षेत्राधिकार

पारितोषण की परिभाषा
पारितोषण लेना (अपराध और शास्ति)

अन्वेषण
स्वीकृति

Scanned with CamScanner

परिभाषा

निर्वाचन -

अधि० की धारा 2 (अ) "निर्वाचन शब्द को परिभाषित करती है -

'जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, इस अधि० में - निर्वाचन से अभिप्रेत है, कोई निर्वाचन जो किसी अधिनियम के अधीन संसद सदस्यों के निर्वाचन या किसी विधानसभा, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के निर्वाचन के लिये किसी भी प्रकार किए जाते हैं।

लोक कर्तव्य -

अधि० की धारा 2 (ब) में लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है -

"लोक कर्तव्य से अभिप्रेत है, कोई ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में, राज्य, जनता या समाज को रुचि है।"

लोक सेवक -

अधि० की धारा 2 (स) लोक सेवक को परिभाषित करती है -

लोक सेवक से अभिप्रेत है -

(i) कोई व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में हो या वेतनाधीन हो, अथवा उसे इसके लिये कोई फीस, कमीशन या पारिश्रमिक प्रदाय किया जाता हो।

(ii) कोई व्यक्ति, जो किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में वेतनाधीन हो,

(iii) कोई व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य की किसी विधि के द्वारा या अधीन

गठित किसी निगम अथवा, किसी प्राधिकरण या निकाय जो सरकार द्वारा स्वामित्व या नियन्त्रणाधीन या सहायता प्राप्त है या कोई शासकीय कम्पनी।

(iv) कोई न्यायाधीश

(v) कोई व्यक्ति जिसे न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा किसी कर्तव्य निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया हो एवं इसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त समापक, प्रापक एवं आयुक्त भी सम्मिलित है।

(vi) कोई मध्यस्थ

(vii) कोई व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या उसके किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो।

(viii) कोई व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन या निर्वहन करने के लिये अधिकृत है।

Scanned with CamScanner

विशेष न्यायाधीश

नियुक्ति – अधिनियम की धारा 3 में विशेष न्यायाधीश, की नियुक्ति से सम्बंधित प्रावधान दिये गये है–

धारा 3 के अनुसार –

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये या ऐसे मामले या ऐसे मामलो के समूह के लिये, जैसा कि अधिसूचना में विहित किया जाए, जितना वह उचित समझे निम्नलिखित अपराधों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है –

(A) इस अधि० के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये; अथवा

(B) उपरोक्त अपराधो के घटित करने के षड्यन्त्र; दुष्प्रेरण या प्रयास के लिए।

(2) कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिये तब अर्हित होगा जब कि वह सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश हो या रह चुका हो।

अधिकार – अधि० की धारा 5 में विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रावधान दिये गये है।

धारा 5 के अनुसार –

(1). विशेष न्यायाधीश किसी अपराधों का सज्ञान उसे विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बगैर कर सकता है और विचारण

के लिए दं.प्र.सं. 1973 में मजिस्ट्रेट द्वारा वारण्ट मामलों के विचारण के लिए विहित प्रक्रिया अपनाएगा।

(2) विशेष न्यायाधीश अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध या संसर्गित किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान दे सकता है, कि वह अपराध के सम्बन्ध में उसके लिये किये जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में सम्बद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में सब परिस्थितियों की, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकट कर दे और तब द०प्र०स० की धारा 308 की उपधारा (1) से (5) तक प्रयोजन के लिये यह समझा जायेगा कि क्षमादान उस संहिता की धारा 307 के अधीन दिया गया है।

(3) उपधारा (1) या (2) में किसी बात के होते हुए भी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान, जहां तक इस अधि० से असंगत न हो, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होंगे और इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिये विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन सन्चालित करने वाला व्यक्ति लोक-अभियोजक समझा जायेगा।

(4) उपधारा (3) की विशिष्टताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, द.प्र.सं. की धारा 326 और 475 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, विशेष न्यायाधीश के समक्ष की कार्यवाहियों को

Scanned with CamScanner

लागू होंगे और इन प्रावधानों के प्रयोजन के लिये विशेष न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।

(5) विशेष न्यायाधीश किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को उस अपराध के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है, जिस अपराध के लिये वह व्यक्ति दोषसिद्ध हुआ है।

(6) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायाधीश, दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्ति, अधिकारों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा।

संक्षिप्त विचारण की शक्ति —

अधिनियम की धारा 6 के अनुसार —

(1) जहां विशेष न्यायाधीश अधि० में विहित अपराध का विचारण किसी लोक सेवक, जिसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधि० की धारा 12-अ की उपधारा (1) में वर्णित विशेष आदेश अथवा उस धारा की उपधारा (2) के खंड (अ) के उल्लंघन का आरोप है तो इस अधिनियम की धारा 5 अथवा दं० प्र० सं० की धारा 260 में किसी बात बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश उस अपराध का संक्षिप्त विचारण करेगा। और संहिता की धारा 260 से 265 के प्रावधान ऐसे विचारण पर जहां जहां सम्भव हो, लागू होंगे।

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश के लिए यह विधि-अनुमत होगा कि वह एक वर्ष की अवधि का दण्डादेश दे सकता है।

(2) ~~इस~~ अधि० में अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण, जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा एक माह से अनधिक के कारावास और दो हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का दण्डादेश दिया गया है तो ऐसे दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, किंतु ऊपर वर्णित सीमा से अधिक के दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी।

परितोषण - 'परितोषण' शब्द को अधि० की धारा 7 के स्पष्टीकरण (ब) में परिभाषित किया गया है।

"परितोषण शब्द धन सम्बन्धी परितोषण तक या उन परितोषणों तक ही जो धन में आंके जाने योग्य है, निर्बन्धित नहीं है।"

अपराध और शास्तियाँ

अधि० की ~~[illegible]~~ अध्याय-3 में धारा 7 से 16 तक में अपराध और शास्तियों के सम्बन्ध में प्रावधान दिया गया है।

1. जब लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के सम्बन्ध में, वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करता है तो अधि० की धारा 7 के अन्तर्गत 5 वर्ष तक के कारावास जो कि 6 माह से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

2. धारा 8 में लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिये परितोषण का लेना।

3. धारा 9 में लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिये परितोषण का लेना।

4. धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरित के लिये दण्ड का प्रावधान धारा 10 में।

5. धारा 11 में लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कारवाई से सम्पृक्त व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है।

6. ~~धारा~~ धारा 12 में धारा 7 या धारा 11 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिये दण्ड।

(7) धारा 14 में धारा 8, 9 और 12 के अधीन अभ्यासत अपराध के सम्बन्ध मे प्रावधान है।
दण्ड – 7 वर्ष के कारावास जोकि 2 वर्ष से कम नही होगी और जुर्माना।

(8) लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार के दण्ड धारा 13 में दिया गया है।
दण्ड – 7 वर्ष के कारावास जो कि 1 वर्ष से कम नही होगा और जुर्माना।

(9) अपराधिक अवचार के प्रयास के लिये दण्ड धारा 15 में प्रावधानित किया है.

दण्ड - 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना।

आधिनियम के अधीन, अपराधो की विवेचना -

अन्वेषण के लिये अधिकृत व्यक्ति

धारा - 17 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी -

(अ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में पुलिस निरीक्षक

(ब) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद तथा किसी अन्य मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में जैसा कि द. प्र. सं. की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में, सहायक पुलिस आयुक्त

(स) अन्यत्र, उप पुलिस अधीक्षक या इसके समकक्ष पद का अधिकारी;

इस आधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेषण यथास्थिति मेट्रो-पोलिटन मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिये कोई गिरफ्तारी वारण्ट के बिना नही करेगा।

परन्तु यदि पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न होने वाला कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो तो वह भी ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण, यथास्थिति मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अथवा उसके लिये गिरफ्तारी वारण्ट के बिना कर सकेगा।

अभियोजन के लिये स्वीकृति

अभियोजन के लिये स्वीकृति का होना आवश्यक - धारा-19 के अनुसार

(1) कोई न्यायालय धारा 7, 10, 13 और 15 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान जिसके बावत यह अभिकथित है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति के बिना नही करेगा। –

(अ) ऐसे व्यक्ति की दशा जो संघ के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित है और जो अपने पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाये जाने के सिवाय नही हटाया जा सकता है; केन्द्रीय सरकार,

(ब) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो राज्य के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित है और जो अपने पद से राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से हटाये जाने के सिवाय नही हटाया जा सकता है; राज्य सरकार,

Scanned with CamScanner

(ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में इसे उसके पद से हटाने के लिये, सक्षम प्राधिकारी ।

(२) दण्ड प्रक्रिया सं० में किसी बात के होते हुए भी –

(A) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मंजूरी में किसी अनियमितता, लोप या मंजूरी के अभाव के कारण अपील न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण पुष्टिकरण या अपील में, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश तब तक परिवर्तन या उलटा नहीं जाएगा, जब तक कि उस न्यायालय की राय में उसके कारण यथार्थ में न्याय नहीं सका।

(B) इस अधि० के अधीन की किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी में किसी अनियमितता या लोप अथवा गलती के कारण रोका नहीं जाएगा, जब तक कि यह समाधान न हो जाए कि ऐसी अनियमितता, लोप या गलती के कारण न्याय नहीं हो सका है।

(C) इस अधि० के अधीन की किसी कार्यवाही को, किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य आधारों पर रोका नहीं जाएगा और किसी न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के अधिकारों का प्रयोग, किसी जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में पारित किसी ~~अन्य~~ अन्तर्वर्ती आदेश के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकेगा।